

## निदेशालय

### ॥ गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

फोन :— 0141-2613755, फैक्स : 0141-2603407 ई-मेल : [hg.trg.rj@nic.in](mailto:hg.trg.rj@nic.in)

website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक: गृह/प्रशि-2/पॉलिसी-1(2)/2023/2265-2321 दिनांक:— 23.01.2023

### रथाई आदेश संख्या 01/2023

निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान में नव नियुक्त आरक्षी हेतु बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वार्षिक एवं आन्तरिक) संलग्न परिशिष्ट अनुसार निम्नांकित चरणों में आयोजित किया जायेगा :—

प्रथम चरण :—

नव नियुक्त आरक्षीयों का बुनियादी प्रशिक्षण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार 04 माह का होगा।

द्वितीय चरण :—

नव नियुक्त आरक्षीयों (प्रशिक्षणार्थीयों) के लिए संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार 45 दिवस का विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, फतेहपुरा, बेगस, जयपुर में संचालित किया जायेगा।

तृतीय चरण :—

नव नियुक्त आरक्षी (प्रशिक्षणार्थी) फील्ड ट्रेनिंग हेतु शहरी गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सीमा गृह रक्षा मुख्यालय एवं कम्पनी मुख्यालय पर 01-01 माह कुल अवधि 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय, गृह रक्षा द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रशिक्षण क्रम को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार गृह रक्षा मुख्यालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।

प्रशिक्षणार्थीयों के प्रथम व द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समापन पर परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही प्रशिक्षणार्थीयों को सफल घोषित किया जायेगा एवं असफल होने पर उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का अन्तिम अवसर दिया जायेगा। इसमें भी असफल होने पर परीक्षा काल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए तदानानुसार अग्रिम दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रथम चरण के प्रशिक्षण समापन पर प्रशिक्षणार्थी (आरक्षी) द्वारा प्राप्तांको का 40% एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समापन पर प्राप्तांको के 60% अंको को सम्मालित कर अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थीयों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

पुरस्कार :— प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।—

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| (1) ऑल राउण्डर प्रथम | — स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र |
| (2) इण्डोर प्रथम     | — स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र |
| (3) आउटडोर प्रथम     | — स्मृति चिन्ह मय प्रशंसा पत्र |

संलग्न : प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

  
(यूआर.साहू, IPS)  
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा  
गृह रक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर— प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समस्त गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. उप समादेष्टा—संस्थापन/भण्डार/सिक्यूरिटी एवं एल.आर., गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. समरत शाखा प्रभारी, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करे।



परिशिष्ट—"अ"

## "आरक्षी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)"

### आरक्षी पद हेतु आधारभूत प्रशिक्षण अवधि

|     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| 1.  | आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम                     | 120 दिवस<br>(04 माह / 16 सप्ताह) |
| 2.  | राजपत्रित अवकाश (रविवार, द्वितीय शनिवार व अन्य) | 32 दिवस                          |
| 3.  | मध्यावधि परीक्षा                                | 04 दिवस                          |
| 4.  | मध्यावधि अवकाश                                  | 04 दिवस                          |
| 5.  | प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस                      | 80 दिवस                          |
| 6.  | कार्य दिवस प्रति सप्ताह                         | 06 दिवस                          |
| 7.  | प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश                |                                  |
| अ.  | इण्डोर कालांश (05 प्रतिदिन)                     | $80 \times 5 = 400$              |
| ब.  | 1. आउटडोर कालांश (04 प्रतिदिन)                  | $80 \times 4 = 320$              |
|     | 2. खेल कालांश (01 प्रतिदिन)                     | $80 \times 1 = 80$               |
|     | कुल आउटडोर कालांश                               | $320 + 80 = 400$                 |
|     | कुल कालांश                                      | $400 + 400 = 800$                |
| 8.  | कालांश अवधि                                     | 40 मिनट                          |
| 9.  | कुल प्रशिक्षण अवधि                              | 120 दिवस                         |
| 10. | अन्तिम परीक्षा                                  | 07 दिवस                          |
| 11. | प्रशिक्षण संस्थान में कुल अवधि                  | 127 दिवस                         |

### प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक निर्देशः—

- इण्डोर व आउटडोर प्रशिक्षण में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी के स्वयं के प्रार्थनापत्र पर संस्था—प्रधान द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशालय द्वारा, उपयुक्त प्रकरण पाये जाने पर उपस्थिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- प्रत्येक माह के अन्त में इण्डोर/आउटडोर के समस्त विषयों का कोर्स प्रभारी/कक्षा प्रभारी/स्कॉल प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जावेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 10 अंक का होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा।

### मध्यावधि परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देशः—

- प्रशिक्षण के मध्य (इण्डोर/आउटडोर विषयों का आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर) प्रत्येक विषय की मध्यावधि परीक्षा होगी।
- मध्यावधि परीक्षा संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी।
- मध्यावधि परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रत्येक प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
- मध्यावधि परीक्षा में अंतिम परीक्षा के लिए निर्धारित पूर्णांक व पद्धति के अनुरूप ही प्रश्नपत्र होंगे।
- परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।

### अन्तिम परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश:-

1. अन्तिम परीक्षा में इण्डोर प्रश्नपत्र का प्रत्येक प्रश्नपत्र 3 योग का होगा।
2. अन्तिम परीक्षा में इण्डोर व आउटडोर परीक्षा (आन्तरिक / बाह्य) में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 45 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
3. महायावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के 30 प्रतिशत व अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांकों के 70 प्रतिशत व आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को रामिलित किया जाकर अन्तिम परिणाम तैयार किया जायेगा।
4. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इण्डोर / आउटडोर) एवं प्रशिक्षण संस्था प्रगुण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदत्त आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्णांकों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
5. प्रश्नपत्र IV (व्यवित्त विकास, संचार कौशल, आपदा प्रबंधन एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के पूर्णांक के 50 प्रतिशत अंकों की रौद्रान्तिक परीक्षा व 50 प्रतिशत अंकों की व्यवहारिक परीक्षा ली जायेगी।
6. मरकेट्री एवं फायरिंग को छोड़कर समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इण्डोर / आउटडोर) परीक्षायें बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मरकेट्री व फायरिंग की परीक्षा प्रशिक्षण संस्था प्रगुण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मरकेट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
7. आन्तरिक मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों में रुचि व भागीदारी एवं अनुशासन के आधार पर किया जायेगा।
8. अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
9. छूट:- इस स्थाई आदेश की किसी भी नियम/शर्त में छूट महानिदेशक एवं महासमादेष्य, गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

### इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

| प्रश्नपत्र | विषय  | कालांश | पूर्णांक |
|------------|---|--------|----------|
| I          | भारतीय संविधान, मानवाधिकार, जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी, पुलिस संगठन एवं प्रशासन | 100    | 100      |
| II         | सामान्य कानून एवं सेवा नियम   | 100    | 100      |
| III        | कानून-व्यवस्था  | 100    | 100      |
| IV         | व्यवित्त विकास एवं संचार कौशल, आपदा प्रबंधन तथा कम्प्यूटर ज्ञान                             | 100    | 100      |
| कुल        |   | 400    | 400      |

### आउटडोर (बाह्य) प्रशिक्षण कार्यक्रम

| प्रश्नपत्र | विषय                               | कालांश | पूर्णांक |
|------------|------------------------------------|--------|----------|
| I          | शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.) एवं खेल | 160    | 75       |
| II         | ड्रिल (परेड)                       | 137    | 75       |
| III        | हथियारों का ज्ञान एवं मरकेट्री     | 50     | 125      |
| IV         | दंगा / भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन | 40     | 60       |
| V          | फील्ड क्राफ्ट व टेक्निक्स          | 13     | 45       |
| कुल        |                                    | 400    | 380      |

### आन्तरिक मूल्यांकन

|   |          |
|---|----------|
| प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार | पूर्णांक |
|   | 20       |
| कुल योग   | 800      |
|   | 800      |

(Signature)

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र—।

भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस संगठन एवं प्रशासन

कालांश—100, पूर्णांक—100

**अ— भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार**

(कालांश—30 पूर्णांक 40)

| भारतीय संविधान |   |        |
|----------------|---|--------|
| क्र.सं.        | विषय वस्तु                                      | कालांश |
| 1              | प्ररतावना                                       | 03     |
| 2              | भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ               | 03     |
| 3              | मूल अधिकार                                      | 06     |
| 4              | मूल कर्तव्य                                     | 02     |
| 5              | पुलिस बल के अधिकारों पर निर्वन्धन (अनुच्छेद 33) | 02     |
| 6              | अनुच्छेद 311                                    | 02     |

| मानवाधिकार |   |        |
|------------|---|--------|
| क्र.सं.    | विषय वस्तु  | कालांश |
| 1          | मानवाधिकार की अवधारणा एवं इसका गहत्व  | 03     |
| 2          | मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा—1948<br>भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकार<br>मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम—1993 (अनुच्छेद—2 द)   | 03     |
| 3          | राष्ट्रीय एवं राज्य गानवाधिकार आयोग<br>राष्ट्रीय एवं राज्य अल्पसंख्यक आयोग<br>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग<br>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग<br>राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग<br>राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग | 06     |

**ब—जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी**

(कालांश—25 पूर्णांक 25)

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | जिला प्रशासन  | 5      |
| 2       | न्यायिक प्रशासन   | 5      |
| 3       | गृह रक्षा विभाग से जुड़े विभागों यथा वन विभाग, खनन विभाग,<br>पुरातत्व विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी एवं परिवहन विभाग<br>इत्यादि              | 5      |
| 4       | जुलूस, सभा, समारोह, मेलों, त्योहारों व अन्य धार्मिक अवसरों पर<br>बल प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल के कर्तव्यों की सामान्य<br>जानकारी | 10     |

**स—पुलिस संगठन एवं प्रशासन**

(कालांश—45 पूर्णांक 35)

| क्र.<br>सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|-------------|--|--------|
| 1           | भारतीय पुलिस का इतिहास   | 02     |
| 2           | केन्द्रीय पुलिस संगठन<br>सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए,<br>बीपीआर एण्ड डी, आरपीएफ, आईबी, सीबीआई, एसएसबी,<br>एनएसजी, एसपीजी   | 10     |
| 3           | राज्य पुलिस का संगठन एवं प्रशासन<br>पुलिस मुख्यालय, रेंज कार्यालय,<br>पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना,<br>(परिचयात्मक अध्ययन)<br>सीआईडी (सीबी), सीआईडी (एस.एस.बी.)<br>राजरथान सशत्र दल (आरएसी / एमबीसी)<br>राजकीय रेल्वे पुलिस (जीआरपी) | 15     |

*Zameer*

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | एन्टी टैररिस्ट स्कॉड (एटीएस)<br>स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)<br>राज्य अपराध रिकॉर्ड व्यूरो (एसआरआरवी)<br>एसडीआरएफ, पुलिस दूरसंचार   | 03 |
| 4 | राजस्थान में पुलिस कगिशनर प्रणाली  | 13 |
| 5 | निम्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी<br>भ्रष्टचार निरोधकव्यूरो (एसीबी),<br>विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल)<br>गृह रक्षा दल<br>नागरिक सुरक्षा<br>जेल प्रशासन, अग्निशमन सेवा |    |
| 6 | पुलिस के रेंक एवं बैजेज<br>अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झाँड़े,<br>तारे एवं चिन्ह   | 02 |

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र—॥

#### सामान्य कानून एवं सेवा नियम

कालांश—100, पूर्णांक—100

**अ—पुलिस विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम**

(कालांश—08, पूर्णांक—08)

| क्र.सं. | विषय वस्तु                  | कालांश |
|---------|-----------------------------|--------|
| 1       | भारतीय दण्ड संहिता          | 02     |
| 2       | दण्ड प्रक्रिया संहिता       | 02     |
| 3       | भारतीय साक्ष्य अधिनियम      | 02     |
| 4       | राजस्थान पुलिस अधिनियम—2007 | 02     |

**ब—गृह रक्षा विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम**

(कालांश—06, पूर्णांक—06)

| क्र.सं. | विषय वस्तु                                | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम—1963           | 02     |
| 2       | राजस्थान गृह रक्षा नियम—1962              | 02     |
| 3       | राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम—2021 | 02     |

**स—स्थानीय एवं विशेष अधिनियम**

(कालांश—30, पूर्णांक—30)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | आयुध अधिनियम 1959  | 02     |
| 2       | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम—1908   | 02     |
| 3       | भारतीय विस्फोटक अधिनियम—1884   | 02     |
| 4       | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)<br>अधिनियम—1989          | 02     |
| 5       | वन्य जीव संरक्षण अधिनियम—1972  | 02     |
| 6       | राजस्थान वन अधिनियम—1953   | 02     |
| 7       | बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम—2012                         | 02     |
| 8       | लोक सम्पति हानि निवारण अधिनियम—1984                                      | 02     |
| 9       | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951  | 03     |
| 10      | लोक गारण्टी अधिनियम—2012   | 02     |
| 11      | कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013) | 02     |
| 12      | राजस्थान सूचना का अधिकार नियम—2005                                       | 07     |

**द—कार्य संचालन प्रक्रिया**

(कालांश—56, पूर्णांक—56)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | राजस्थान सेवा नियम, 1951                           | 08     |
| 2       | राजस्थान अपिल एवं वर्गीकरण नियम, (CCA RULES), 1958 | 08     |
| 3       | सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम,                     | 10     |
| 4       | कार्यलय कार्य पद्धति                               | 10     |

*James*

|   |   |    |
|---|---|----|
| 5 | भण्डार एवं हथियार रक्षण   | 10 |
| 6 | अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों के पेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, घटी भत्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण भत्ते एवं उत्तरार्थ संबंधित मुद्रे। | 05 |
| 7 | राजस्थान सरकार की रायरस्थ योजना (RGHS), राज्य गीमा, एन.पी.एस. / ओ.पी.एस (ओल्ड पैशन स्कीम) की जानकारी                                | 05 |

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र-III

#### कानून-व्यवस्था

कालांश-100, पूर्णांक-100

#### अ- कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा

(कालांश-30, पूर्णांक-30)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | विधि विरुद्ध जगाव को तितर-वितर करना तथा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग  | 4      |
| 2       | साम्प्रदायिक हिसा और दंगे फसाद नियंत्रित करने में बल की भूमिका और राजस्थान पुलिस नियम, 1948 का नियम 184,185 189 आदि। | 4      |
| 3       | जुलूस, सभा, समारोह को शांतिपूर्ण नियंत्रित करने में तैनात बल की भूमिका व कर्तव्य,                                    | 4      |
| 4       | मेलों (केस स्टडी-उर्स मेला), त्योहारों व अन्य धार्मिक अवसरों पर बल प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल का कर्तव्य   | 4      |
| 5       | धार्मिक तथा जातीय दंगे की स्थिति में बल के कर्तव्य व सहयोग   | 5      |
| 6       | कफर्यू दंगा ग्रस्त क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा व्यवस्था तथा कफर्यू, फ्लैग मार्च, पिकेट्स एवं नाकाबंदी             | 5      |
| 7       | रेल्वे व वाहन दुर्घटना के समय तैनात बल के कर्तव्य  | 4      |

#### ब- सुरक्षा व इन्टेरिजेन्स

(कालांश-30, पूर्णांक-30)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | विशिष्ट व्यक्ति को अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट या हेलिपेड, रुट लाइनिंग पर, सभा स्थल पर पुलिस इंतजाम में कानि. के कर्तव्य | 04     |
| 2       | एंटी सबोटेज वैकिंग   | 04     |
| 3       | महत्वपूर्ण संस्थानों यथा मंदिर पुरातत्व स्थल, बांध, विद्युत संयंत्र, ऑयल डिपों इत्यादि की सुरक्षा जोखिम विश्लेषण तथा मूल्यांकन   | 07     |
| 4       | विस्फोटक पदार्थों तथा बम संबंधी ज्ञान एवं सुरक्षात्मक कार्यवाहियां   | 04     |
| 5       | पी.एस.ओ. के कर्तव्य तथा शिफ्ट आचरण   | 04     |
| 6       | वी.आई.पी सुरक्षा के आधारभूत सिद्धान्त एवं तकनीकी उपकरण—सीरीटीवी, एचएमडी, डीएफएमडी, डीएसएमडी जैमर इत्यादि   | 07     |

#### स- चुनाव व्यवस्था

(कालांश-10, पूर्णांक-10)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु तैनाती पर पुलिस कानिस्टरबल/होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी के नियम<br>a. चुनाव पार्टी की सुरक्षा<br>b. मतपत्रों की सुरक्षा<br>c. मतपेटियों की सुरक्षा<br>d. मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना<br>e. मतदान पेटियों की एस्कोर्ट ड्यूटी | 10     |

**द-पर्यावरण संरक्षण तथा दायित्व**

(कालांश-05 पूर्णांक-05)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | पर्यावरण का आशय तथा वायु जल व ध्वनि प्रदूषण के नियारण में जचान वी भूमिका | 02     |
| 2       | पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण, रचाच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान        | 02     |
| 3       | जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग की रामरस्या                          | 01     |

**य-प्राथमिक चिकित्सा**

(कालांश-10 पूर्णांक-10)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | प्राथमिक चिकित्सा- फर्स्ट एड, रक्त स्नाय बंद करने के तरीके, पट्टी के प्रकार व बांधने के तरीके, दुर्घटना रथल पर प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ | 08     |
| 2       | सामाजिक रचारथ्य  | 02     |

**र-कानिस्टरेबल के बटालियन मुख्यालय में कर्तव्य, कृत्य तथा भूमिका (कालांश-15, पूर्णांक-15)**

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | क्वार्टर गार्ड संतरी ड्यूटी                                       | 04     |
| 2       | मुख्य प्रवेश द्वार पर संतरी ड्यूटी-वाहनों तथा आगन्तुकों की चैकिंग | 04     |
| 3       | मैर्जीन तथा कोत पर ड्यूटी   | 04     |
| 4       | मैस मेम्बर कानिस्टरेबल की ड्यूटी                                  | 02     |
| 5       | कंट्रोल रूम में टेलिफोन ड्यूटी                                    | 01     |

**इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

**प्रश्न पत्र-IV**

व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, आपदा प्रबंधन एवं कम्प्यूटर ज्ञान

कालांश-100, पूर्णांक-100

(कालांश-20 पूर्णांक-20)

**अ- व्यक्तित्व विकास एवं संचार कौशल**

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | मानव व्यवहार की परिभाषा एवं प्रकार   | 02     |
| 2       | मानव व्यवहार-व्यक्तिगत एवं समूह में, लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं।  | 02     |
| 3       | नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा   | 02     |
| 4       | तनाव प्रबंधन<br>तनाव के कारण एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव,<br>तनाव को दूर करने के उपाय<br>क्रोध नियंत्रण, कार्यरथल पर आक्रमकता पर नियंत्रण | 04     |
| 5       | समय प्रबंधन- परिभाषा, उपयोगिता, प्राथमिकता सिद्धांत  | 05     |
| 6       | टीम भावना- उद्देश्य, उपयोगिता एवं राजकार्य में टीम भावना   | 05     |

(कालांश-10 पूर्णांक-10)

**ब-संचार कौशल**

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | प्रभावी मौखिक संवाद एवं इसकी उपयोगिता             | 02     |
| 2       | मौखिक संवाद की तकनीक                              | 02     |
| 3       | मौखिक संवाद में अवरोध                             | 01     |
| 4       | श्रवण कौशल  | 01     |
| 5       | संचार में शिष्टाचार                               | 02     |
| 6       | शारीरिक हाव-भाव एवं राजकीय सेवा में इसकी उपयोगिता | 02     |

(कालांश-15 पूर्णांक-15)

**स- आपदा प्रबंधन**

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | प्राकृतिक आपदा पर जन साधारण की सहायतार्थ तैनात सशस्त्र दल के सदस्य की भूमिका तथा लोक सम्पत्ति की रक्षा में सहयोग:-<br>अकाल, बाढ़ भूकम्प, तूफान तथा चक्रवात, ज्वालामुखी, अग्नि की विभीषिका, जल प्लावन तथा समुद्री तूफान, भू-स्खलन, सुनामी कहर, महामारी-कोरोना | 15     |

*Unnati*

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | <b>सैद्धांतिक ज्ञान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी: रीपीयू, मॉनीटर, की-बोर्ड और माउस</li> <li>रॉफ्टवेयर एवं उसका महत्व, सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्सीकेशन सॉफ्टवेयर का ज्ञान</li> <li>एन्टी वायरस एवं फायरवाल का महत्व</li> <li>इन्टरनेट एवं ग्राउजर का परिचय</li> <li>कम्प्यूटर नेटवर्क LAN, WAN का परिचय और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण</li> <li>वाई-फाई, लीज लाईन, ग्राउंड, वैण्ड, मॉडेम की जानकारी</li> </ul> | 10     |
| 2       | <b>व्यावहारिक (प्रैविटकल) प्रशिक्षण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर का उपयोग</li> <li>एम.एस.वर्ड एवं एम.एस.एक्सेल, पावर पॉइंट</li> <li>प्रणाली में समर्थ्या निवारण</li> <li>कम्प्यूटर की देखरेख</li> <li>LAN की देखरेख</li> <li>UPS की देखरेख</li> <li>कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर, फिंगर प्रिन्ट, वेब कैमरा इत्यादि का संचालन व इनकी देखरेख</li> </ul>   | 45     |

आउटडोर (बाह्य) प्रशिक्षण कार्यक्रम

कालांश-320, पूर्णांक-380

**प्रश्न पत्र-।**  
**शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी. एवं खेल)**

(कालांश-160 पूर्णांक 75)

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | पी.टी. फी हैंड व 5 वी.एक्स. चार्ट नं. 01 से 06 तक | 25     |
| 2       | योगासन  | 07     |
| 3       | ग्राउण्ड वक्र                                     | 05     |
| 4       | रोप वक्र  | 05     |
| 5       | घोड़ा (महिलाओं हेतु आड़ा व पुरुषों हेतु लम्बा भी) | 05     |
| 6       | वॉक एण्ड रन                                       | 14     |
| 7       | यू.ए.सी.  | 10     |
| 8       | योग वक्र  | 05     |
| 9       | असाल्ट  | 04     |
| 10      | खेल (कोई अंक देय नहीं)                            | 80     |
|         | योग:-   | 160    |

**प्रश्न पत्र-॥****ड्रिल (परेड)**

(कालांश-137 पूर्णांक 75)

| क्र.सं. | विषय वस्तु        | कालांश |
|---------|-------------------|--------|
| 1       | खाली हाथ ड्रिल    | 35     |
| 2       | राइफल सहित ड्रिल  | 38     |
| 3       | राइफल अभ्यास      | 18     |
| 4       | कैन ड्रिल         | 03     |
| 5       | गार्ड ड्यूटी      | 06     |
| 6       | प्लाटन ड्रिल      | 10     |
| 7       | सेरमानियल ड्रिल   | 10     |
| 8       | सम्मान गार्ड      | 10     |
| 9       | अन्त्येष्टि कवायद | 02     |
| 10      | यातायात संकेत     | 05     |
| 11      | टर्न आउट          | -      |
|         | योग:-             | 137    |

**प्रश्न पत्र-III**  
**हथियारों का ज्ञान एवं गरकेट्री**  
 (कालांश-50 पूर्णांक 125)

| क्र.सं. | विषय वस्तु   | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | इन्सास 5.56 एमएम                                     | 08     |
| 2       | एस.एल.आर. 7.62 एमएम                                  | 07     |
| 4       | राइफल 22 की जानकारी                                  | 02     |
| 6       | स्टेनगन/कार्बाइन 9 एमएम/पिरटल 9 एमएम                 | 10     |
| 7       | विरफोटक व बम डिसोजल                                  | 03     |
| 8       | फायरिंग व मरकेट्री (इन्सास/एस.एल.आर./कार्बाइन/पिरटल) | 20     |
|         | योग:-  | 50     |

**प्रश्न पत्र-IV**  
**दंगा/भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन**  
 (कालांश-40 पूर्णांक 60)

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | कालांश |
|---------|---|--------|
| 1       | लाठी ड्रिल  | 06     |
| 2       | सड़क परिवहन   | 01     |
| 3       | दलवा परेड (भीड़ नियंत्रण ड्रिल)   | 15     |
| 4       | रवड युलेट्स, अशु गैस, गैस मारक, स्लारिटक ढाल, हैलमेट केन, वाटर कैनन व चम्पावाहन | 10     |
| 5       | प्राथमिक उपचार  | 03     |
| 6       | आपदा प्रबंधन  | 05     |
|         | योग:-   | 40     |

**प्रश्न पत्र-V**  
**फील्ड क्राफ्ट व टेक्निक्स**  
 (कालांश-13 पूर्णांक 45)

| क्र.सं. | विषय वस्तु              | कालांश |
|---------|-------------------------|--------|
| 1       | फील्ट क्राफ्ट           | 02     |
| 2       | एग्यूश, पैट्रोलिंग      | 02     |
| 3       | घेरावन्दी, दविश व तलाशी | 03     |
| 4       | नाकावन्दी               | 03     |
| 5       | वी.आई.पी.सुरक्षा        | 03     |
|         | योग:-                   | 13     |

**आंतरिक मूल्यांकन**  
**प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार द्वारा आंतरिक मूल्यांकन**  
 (पूर्णांक 20)

| क्र.सं. | विषय वस्तु  | पूर्णांक |
|---------|---|----------|
| 1       | प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार | 20       |

।  
.....

"केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  
(बाह्य एवं आन्तरिक)"

आरक्षी पद के लिए विभागीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अवधि

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम             | 45 दिवस             |
| 2. | राजपत्रित अवकाश (रविवार, शनिवार व अन्य) | 12 दिवस             |
| 3. | मध्यावधि अवकाश                          | 01 दिवस             |
| 4. | प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस              | 32 दिवस             |
| 5. | कार्य दिवस प्रति सप्ताह                 | 05 दिवस             |
| 6. | प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश        |                     |
| अ. | इण्डोर कालांश (05 प्रतिदिन)             | $32 \times 5 = 160$ |
| ब. | आउटडोर कालांश (03 प्रतिदिन)             | $32 \times 3 = 96$  |
| स. | खेल कालांश (01 प्रतिदिन)                | $32 \times 1 = 32$  |
|    | कुल आउटडोर कालांश                       | $96 + 32 = 128$     |
|    | कुल कालांश                              | $160 + 128 = 288$   |
| 7. | कालांश अवधि                             | 40 मिनट             |
| 8. | कुल प्रशिक्षण अवधि                      | 32 दिवस             |
| 9. | प्रशिक्षण संस्थान में कुल अवधि          | 45 दिवस             |

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर में आयोजित द्वितीय चरण में संचालित प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- इण्डोर व आउटडोर प्रशिक्षण में 90 प्रतिशत उपरिथिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी के स्वयं के प्रार्थनापत्र पर संस्था-प्रधान द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशालय द्वारा, उपयुक्त प्रकरण पाये जाने पर उपरिथिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- प्रत्येक सप्ताह के अन्त में साप्ताहिक टेस्ट लिया जावेगा, जो 20 अंको का होगा।
- अन्तिम परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
- अन्तिम परीक्षा में इन्डोर व आउटडोर परीक्षा (आन्तरिक/बाह्य) में प्रत्येक प्रश्नपत्र 100–100 अंकों का होगा जिसमें 45% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
- प्रशिक्षण के अन्त में ली जाने वाली आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ली गयी साप्ताहिक एवं अन्तिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के पूर्णांकों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना प्रशिक्षणार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
- अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
- छूट:-** इस रथाई आदेश की किसी भी नियम/शर्त में छूट महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

"केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम"  
इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

| क्र.सं. | विषय                                       | कालांश |
|---------|--|--------|
| 1       | होमगार्ड का संगठन एवं भूमिका               | 05     |
| 2       | राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963             | 04     |
| 3       | राजस्थान होमगार्ड नियम 1962                | 04     |
| 4       | राजस्थान होमगार्ड अधिनस्थ सेवा नियम – 2021 | 06     |
| 5       | होमगार्ड सदस्यता हेतु नामांकन प्रक्रिया    | 05     |